झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
पंचम-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 17.03.2016 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	सर्वश्री डॉ0 जीतू चरण राम, साधुचरण महतो एवं श्री अनन्त कुमार ओझा स0वि0स0	"माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वाद सं0- SLP (C) N0.- 19628 of 2009 [Dipak Kumar Vs State of Haryana] में पारित आदेश दिनांक- 27.02.2012 के पारा 17 के अनुरूप राज्य की लघु खनिज नियमावली में संसोधन हेतु छः माह में करने का आदेश दिया गया था। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह भी कहा गया था कि जब तक राज्य सरकारें लघु खनिज नियमावली में संशोधन नहीं करती है, तबतक उनके द्वारा किसी भी खनन् पट्टे का नया आवंटन या पुर्नविस्तार, चाहे उसका क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम ही क्यों न हो, भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकेगा। चूँकि राज्य सरकार के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश का पालन कर लिया गया है एवं राज्य के लघु खनिज नियमावली में उचित संशोधन कर दिए गए है। ऐसी स्थिति में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निरोपित 5 हेक्टेयर से कम लघु खनन् पट्टे पर आदेश के आलोक में निरोपित पर्यावरणीय स्वीकृति की बाध्यता स्वतः समाप्त हो जाती है,	खान एवं भूतत्व

01.	02.	03.	04.
		लेकिन राज्य सरकार के द्वारा अब भी 5 हेक्टेयर से कम के लघु खनिज के खनन पट्टे पर पर्यावरणीय स्वीकृति की माँग की जा रही है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के आलोक में लघु खनिज के खनन् पट्टों को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु बाध्य न करने की ओर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।	
02-	श्री प्रदीप यादव स0वि0स0	पुलिस, नक्सलियों एवं नेताओं के सांठगांठ की कई घटनायें कई बार सार्वजनिक हुई है। हाल के दिनों में कई घटित घटनायें इस बात की पुष्टि करती है। सुनील पाण्डेय जिसने पुलिस एवं नक्सलियों की सांठगांठ के पर्दाफाश के लिए माननीय उच्च न्यायालय में PIL किया था। इस कारण कई बार उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। बार-बार पुलिस अधीक्षक गढ़वा-पलामू को लिखित सूचना के बावजूद उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करायी गयी और अंततः दिनांक-08/10/2015 को इसकी हत्या कर दी गयी। उसी प्रकार पुलिस के संरक्षण में उग्रवादियों द्वारा बनायी गयी समिति टंडवा कॉल ब्लॉक, चतरा में प्रत्येक महीनें करोड़ों रूपये की उगाही का मामला वहाँ के उपायुक्त ने मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को पत्र के माध्यम से अवगत कराया था। मुख्य सचिव ने पत्रांक- 4657, दिनांक- 21/12/2015 के माध्यम से गृह सचिव, झारखण्ड को पत्र लिखकर कमिटि भंग कर SIT जाँच का निर्देश दिया था। साथ ही चतरा में गिरफ्तारी वारंट के बावजूद उग्रवादी ब्रजेश गंझू ने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और पुलिस मुकदर्शक बनी रही। इन तमाम घटनाओं को ध्यान में रखते हुए एक SIT का गठन High Court के माननीय जज के अध्यक्षता में बने और दोषी व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई हो ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाया जा सके। अतः इस ओर मैं सदन में माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

कृ0पृ0उ0

03-	प्रो0स्टीफन मराण्डी एवं श्री अनिल मुर्मू स0वि0स0	पाकुड़ जिलान्तर्गत पच्चूबारा कोल ब्लॉक एवं सेन्ट्रल कोल फिल्ड में बरती गई अनियमितताओं की जाँच हेतु प्रमण्डलीय आयुक्त दुमका की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विशनपुर राजस्व ग्राम सहित कुल 11 ग्रामों के 1218 हेक्टेयर भूमि पर खनन लीज की अनुमति भारत सरकार के पत्रांक-47011/7946/93-सी0पी0ए0-सी0पी0ए0एम0-सी0ए0 1, दिनांक 16.08.2011 द्वारा दी गई थी। उपायुक्त पाकुड़ ने अवैध रूप से 846.93 हेक्टेयर भूमि का खनन पट्टा बंगाल एमटा कोल लि0 के साथ निष्पादन किया। खनन हेतु स्थापित शर्त्तो को पालन न कर खनन किया गया जिससे गाँव विलुप्त हो गया। पेनम कोल लि0 के विरूद्ध छः निलाम-पत्र दायर किया जिसमें सरकारी राजस्व का 99.52 करोड़ राशि सन्नहीत थी। अतएव त्रस्त ग्रामीणों का अस्तित्व कायम रखने, तत्कालीन उपायुक्त के विरूद्ध कार्रवाई करने एवं पेनम कोल लि0 से बकाया 99.52 करोड़ की वसूली हेतु मैं सरकार का ध्यानाकृष्ट कराता हूँ।	खान एवं भूतत्व
04-	श्रीमती गीता कोड़ा, श्री शशिभूषण सामाड़ एवं श्री दशरथ गागराई स0वि0स0	भूमि संरक्षण विभाग के मापदण्डों की अनदेखी कर श्री अमरेश कुमार झा का पदस्थापन भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जमशेदपुर में कर उन्हें और पाँच महत्वपूर्ण पद का प्रभार भी दिया गया है, जबकि श्री झा पर वित्तीय वर्ष 2004 से 2009 में जिला कृषि पदाधिकारी, कोडरमा के पद पर रहते हुए पौली हाऊस निर्माण में 22 लाख रू0 एवं लिफ्ट ऐरीगेशन निर्माण 44 लाख रू0 की अनियमितता प्रमाणित है, साथ ही एक अन्य मामले में श्री के0के0 सोन (I.P.S.) तत्कालीन कृषि निदेशक के समर्पित जाँच प्रतिवेदन में भी श्री झा को सरकारी राशि के गंबन का दोषी पाया गया है। अतः उपर्युक्त जाँच के आधार पर श्री अमरेश कुमार झा की गिरफ्तारी के साथ अविलम्ब निलम्बित कर गबन की राशि की वसूली करते हुए उनके विरूद्ध शीघ्र कार्रवाई करने हेतू मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहती हूँ।	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता

05-	श्री राजकुमार यादव एवं श्री नलिन सोरेन स0वि0स0	राज्य के जेलों में आजीवन कारावास की सजा पूरी कर चुके कैदियों को राज्य सरकार दिनांक- 28.06.2014 तक राज्य सजा पूर्णनिरीक्षण बोर्ड की बैठक कर आजीवन सजा पूरी कर चुकी कैदियों को जेल से रिहा करते आ रही थी। मानीय सर्वोच्च न्यायालय W.P.C (C.R.L.) नम्बर 48/2014 Union of India V/s Shri Haran Munngan and others का हवाला देकर रोक लगा रखी थी। लेकिन 23.07.2015 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में संशोधित करते हुए आजीवन सजा पूरी कर चुके कैदियों को जेल से रिहा का आदेश पारित किया है तथा छत्तीसगढ़, कर्नाटक व मध्यप्रदेश की सरकारों ने अपने कैदियों को रिहा कर दिया है। लेकिन राज्य के जेलों में आजीवन कारावास की सजा पूरी कर चुके कैदियों अभी तक जेलों में बंद है। लेकिन झारखण्ड सरकार के द्वारा राज्य पूर्णनिरीक्षण समिति की बैठक आज तक नही की गयी है। अतः राज्य की जेलों में बंद आजीवन सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

राँची,
दिनांक- 17 मार्च, 2016 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2016-2250/वि0 स0, राँची, दिनांक- 16/3/16

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ खान एवं भूतत्व विभाग/ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
16/03/16
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2016-2250/वि0 स0, राँची, दिनांक- 16/3/16

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
16/03/16
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

16/03